**धारा 95 CPC के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र**

**(Application u/sec. 95 CPC)**

न्यायालय ............

वाद नंबर ............ सन् ..........

अ० ब० स० ............ वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

प्रार्थी-प्रतिवादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :\_\_\_

1. यह कि मान्य न्यायालय ने वादी के प्रार्थना-पत्र पर अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1,2क (अथवा सी० पी०सी० के अन्य प्रावधान) सी० पी०सी० के अन्तर्गत प्रार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध उक्त वाद में दिनांक ............. को सम्पत्ति की कुर्की/गिरफतारी/अस्थाई न्यादेश का आदेश पारित किया गया था जिसके अनुपालन में प्रार्थी की सम्पत्ति की कुकी/गिरफतारी/व्यादेश का अनुपालन दिनांक ............. को हुआ था।
2. यह कि वादी ने अपर्याप्त आधारों पर कुर्की/गिरफतारी/व्यादेश का आदेश प्राप्त किया था (अथवा वादी को वाद योजन का कोई उचित या सम्भव आधार नही था। जिसमें कुर्की/ गिरफतारा/व्यादेश का आदेश प्राप्त किया, विस्तृत विवरण शपथ पत्र में अंकित है।
3. यह कि प्रार्थी/प्रतिवादी को अपर्यात, अनुचित एवं असम्भव आधारों पर पारित आदेशों के अनुपालन में हुई समपत्ति की कुर्की /उसकी गिरफतारी/अस्थाई व्यादेश से अंकन ............ रु० बात हुई है जिसकी आपूर्ति करने हेतु प्रार्थी/प्रतिवादी को न्यायहित में प्रतिकर दिलाया जाने की अपक्षा है ओर प्रार्थना है (यहाँ हानि के कारण अंकित करें).

**प्रार्थना**

इसलिए अत्यन्त विनम्रतापर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थी को रु० ............ का प्रतिकर वादी द्वारा गलत तरीके से कुर्की गिरफ्तार कराने अथवा अस्थाई न्यादेश के कारण हुई हानि की पूर्ति हेतु दिलाया जाये।

**प्रार्थी/प्रतिवादी……**

**द्वारा अधिवक्ता……**

**स्थान…….**

**दिनांक……**

**नोट** - शपथ पत्र संलग्न किया जाये।